उदारीकरण के दौर में प्रौद्योगिकी योगदान

* मनीष कुमारसेन

* 136, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.)

January,2013

लघु उद्योगों के लिए वांछित प्रौद्योगिकीय सहयोग में अनुसंधान व विकास सहायता, परीक्षण व सूक्ष्मता, पर्यावरण प्रोद्योगिकी में सहायता, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों में सहायता और गुणवत्ता सुधारने में सहायता, खास तौर पर निर्धारित औद्योगिक मानकों को हासिल करने के माध्यम इत्यादि, शामिल है। सभी क्षेत्रों के लिए नई प्रौद्योगिकी सहायक संस्थाओं की जरूरत है जो प्रभावी तरीके से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके।

विभिन्न सेवाएँ समान उद्योगों के समूहों के आसपास स्थापित संस्थाओं द्वारा ज्यादा प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि वे विशेषज्ञता हासिल करने के साथ–साथ पैमाना आधारित रियायती लाभ उठा सकें। नई प्रौद्योगिकी सहायक संस्थाओं को बुनियादी रूप से समूह उद्योग संघों द्वारा अपने समूह में स्थित उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार संचालित करना होता है।

महत्वपूर्ण अभिकरण की स्थापना व उनके वित्तपोषण में सरकार की भागीदारी पूरी तरह न्यायोचित है। सरकार द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर कोष स्थापना की गई है ताकि ऐसी योजनाये तैयार की जा सकें जो वांछित प्रौद्योगिकीय सहयोग संस्थाओं की स्थापना के लिए लघु उद्योग संघों को प्रोत्साहन के रूप में कोष उपलब्ध कराया जा सके। ऐसी संस्थाएँ पंजीकृत समितियों के रूप में गठित किये जाने पर बल दिया है जिनमें सरकार व समूह संस्थाओं, दोनों की पर्याप्त भगदारी हो।

प्रौद्योगिकीय सहायता की अपेक्षा अनुसंधान व विकास की आवश्यकता अधिक विशिष्ट हैं। जबकि लघु उद्योग में काफी हद तक नवीनता देखी जा सकती है लेकिन स्पष्टतः वे अनुसंधान और विकास कार्यों को करने के लिए साधन सम्पन्न नहीं है।

व्यापक रूप से मार्च 2006 तक कार्यान्वित विकास कार्यक्रम में मुख्य रूप से संवेदी क्षेत्रों में सहायता शामिल थी जो अनेक कार्यकलापों से व्याप्त थी यथा सामान्य जागरूकता तथा विश्वास निर्माण, परामर्श, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, वित्तीय सुविधाएं, बाजार विकास आदि। जो सहायक प्रौद्योगिकी सुधारों, गुणवत्तामूलक मानकीकरण तथा मुख्य रूप से सुविधा केन्द्रों के रूप में अनेक प्रकार के संसाधन तथा सुविधाओं से सुसज्जित हैं परन्तु प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इसे तथा प्रतिस्पर्धात्मक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा नवीनीकरण के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2006 में कुटीर एवं लघु उद्योग के दिशानिर्देश व्यापक रूप से संशोधित किए गये थे जिससे मध्यम से दीर्घ अवधि तक उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता के रूप में पर्याप्त अर्थव्यवस्था सुलभ करके अधिक व्यापक बनाए गए। इस योजना के तहत भारत सरकार की सहायता को 'सामान्य सुविधा केन्द्रों' की स्थापना सहित संवेदी कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए 8 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया।

संशोधित दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था तथा सभी राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना के तहत विचारार्थ उपयुक्त प्रस्ताव भेजें। संशोधित दिशानिर्देशों को जारी करने के बाद वर्तमान अभी तक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए 3 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

समेकित अवसंरचनात्मक विकास की योजना, कार्यक्रमों की स्थापना की योजना का उद्देश्य समान उद्देश्यार्थ सहायता प्रदान करना है, महत्वपूर्ण है कि सम्बन्धित स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सुदृढ़ किया जाना प्रमुख है। वित्तीय, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्तामूलक प्रमाणन के लिए लघु उद्योग मंत्रालय की अनेक योजनाएं हैं जैसे निवेश हेतु क्रेडिट गारंटी योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट सम्बद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना, प्रमाणन हेतु आई एस ओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति योजना आदि जिसके माध्यम से सम्बन्धित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को सहायता प्रदान की जाती है। इस नये दृष्टिकोण के तहत् मध्यम एवं लघु उद्योग के समग्र विकास तथा संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता के लिए ऐसी सभी योजनाओं को सहयोग देने पर बल दिया जाता है।

आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार सुधारों की प्रक्रिया से भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने उनके गुणावत्तामूलक सुधार तथा पर्यावरणात्मक प्रबन्धन की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की।

इस योजना में लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन (75000 रुपये प्रति इकाई तक) प्रदान किया जाता है जो आईएसओ 9000/आई एस ओ–14001 प्रमाणन हासिल करती हैं। इस योजना को मार्च, 1994 से संचालित की जा रही है 28 अक्तूबर, 2002 से आई एस ओ 14001 प्रमाणन हासिल करने के लिए व्यय की प्रतिपूति को शामिल करने हेतु विस्तार किया गया था।

आई एस ओ–9000 प्रतिपूर्ति की योजना के प्रारंभ होने से 13433 लघु उद्योग इकाइयों का जिनकी राशि 70.88 करोड रुपये है, नवम्बर 2006 तक लाभ प्रदान किया गया है। आई

एस ओ–9000 प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिपूर्तित इकाइयों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है–

आई एसओ–9000 प्रोत्साहन योजना के अधीन इकाइयों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

इस समय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य औद्योगिक

वर्ष	इकाइयों की संख्या	सहायता की राशि
1993–94	03	.016
1994–95	10	.043
1995–96	48	0.25
1996–97	54	0.39
1997–98	85	0.49
1998–99	174	0.96
1999–2000	361	2.25
2000–2001	649	4.05
2002–2003	1182	6.99
2003–2004	917	4.77
2004–2005	3314	17.33
2005–2006	4101	19.44
2006–2007	1543	7.37
कुल	13433	70.88

स्त्रोत– वार्षिक रिपोर्ट 2006–07, लघु उद्योग मंत्रालय, पृष्ट 45

समस्या–

प्रशिक्षण संस्थाओं और लघु उद्योगों के बीच कार्यविधि की दृष्टि से बहुत कम सहक्रियात्मक संबंध हैं।

लघु इकाइयों में निवेश के अभाव में विदेशी लघु इकाइयों की तरह प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में स्थानीय स्तर के लघु कुटीर उद्योग पिछड़े है।

प्रौद्योगिकी के मामले में लघु एवं मध्यम उद्योग के सामने सीमित विकल्प हैं। अमेरिका एवं जापान में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग बड़े उद्योगों के साथ साझेदार होते है। जो वास्तव में नवप्रवर्तन के लिए जाने जाते है। लेकिन भारत में निवेश का वातावरण बहुत पिछड़ा हुआ है जिससे विदेशों की छोटी कंपनियां भारत की ओर खिंची चली आएं। इसके अतिरिक्त छोटी व मध्यम उद्योग के बीच सहयोग पर अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है।

लघु एवं मध्यम उद्योगों के पास यह विकल्प है कि वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बड़ी व बहुराष्ट्रीय कंपिनयों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएँ। लेकिन वास्तविका यह है कि बडे एवं लघु उद्योगो के बीच संबंधों को सुचारू रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई उप–संविदा की व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। सामान्यतः बडे एवं लघु उद्योग दीर्घकालिक स्थायी संबंध कायम करने की ओर बढ़ते हैं लेकिन यह संभव नहीं हो पाया है।

सुझाव–

राज्य स्तर पर स्वायत्त उद्यम व्यवसाय सेवा कोष स्थापित किए जाएँ जो निजी क्षेत्र के साथ तालमेल करके विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण करें। यदि उनका संचालन सरकार के बाहर किसी स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाए तो उन्हें बहुस्तरीय वित्तीय संस्थाओं से भी धन की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे कोषों का निर्देशक सिद्धांत यह हो सकता है कि वितरण सिर्फ राज्य सरकारों या व्यावसायिक संघों द्वारा सुझाई गई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही दिए जाएँ। कोष का कामकाज अनुभवी पेशेवर लोगों के हाथ में होना चाहिए जो वित्तपोषण के लिए आने वाली विभिन्न योजनाओ के मूल्यांकन में सिद्धहस्त हों।

निष्कर्ष

पूँजी के लिए प्रतिस्पर्धा होने से उद्योग का चयन किया जाता है जो निजी क्षेत्र के योगदान सहित अधिकतम समतुल्य कोष की व्यवस्था करते है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिससे अधिक उपयोगी बनाया जाता है।

प्रमुख संबद्ध सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधि, बैंकिग प्रणाली व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते है। जो लघु उद्योगो के विकास एवं सवर्द्धन के लिये महत्वपूर्ण होते है इस प्रकार स्थानीय संसाधनो को उपयोग रूप प्रदान कर दीर्घ कालीन स्थायित्व प्रदान किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. आबिद हुसैन 'लघु उद्योग विशेषज्ञ समिति', राधाकृष्ण प्रकाशन, नईदिल्ली 1997
2. डॉ.बी.एल. माथुर 'औद्योगिक वित्त', अर्जुन पब्लिशिंग, दिल्ली, 2009
3. आयुक्त, वार्षिक रिपोर्ट 2006–07 लघु उद्योग मंत्रालय, नईदिल्ली
4. मिश्र एवं पुरी 'भारतीय अर्थ व्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, 2011